न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 155/25

तारीख दायर 12/6/25

रुपा पुत्र बरदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. नानालाल पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जगदीश पुत्र पन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नन्दलाल पुत्र छीतर जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. पप्पुलाल दत्तक पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी देबीनिवास, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सुन्दरलाल पुत्र खाना जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24/6/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम उमाजी का खेड़ा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया** की सरहद में खाता संख्या 99 पर अंकित आराजी खसरा संख्या 442/316 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी संख्या 443/317 रकबा 0.4047 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4937 हैक्टेयर भूमि वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

रूपा बनाम मन्नालाल

किस्म मुकदमा 111/128

प्रकरण संख्या 155 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-6-2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 19/6/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
19/6/25	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. का दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 24/6/25 को वास्ते Ao/R पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
24/6/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी बाद सूचना उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा आयोजित कैम्प "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025 में उपस्थित। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पालनार्थ तहसीलदार बिजोलिया को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ